समाहरणालय, दरभंगा

(जिला पंचायत प्रशाखा)

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो) बिहार पटना के ज्ञापांक 1573/अप0 शा0 दिनांक 01.08.2013 से प्राप्त सूचना अनुसार श्री परमेश्वर यादव पंचायत सेवक–सह–पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जोगियारा, प्रखंड जाले को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक 26.07.2013 को 10000.00 (दस हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक 842/जि0पं0 दिनांक 21.08.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 के आलोक में गिरफ्तार होने की तिथि 26.07.2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के पत्र सं0 1743/अप0 शा0 दिनांक 23.08.13 एवं पुलिस निरीक्षक–सह–अनुसंधानकर्त्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित अभियोजन पत्र सं0 904/2013 दिनांक 14.08.2013 के आलोक में निगरानी थाना काण्ड सं0 45/2013 दिनांक 26.07.2013 धारा–07/13(2) सह पठित धारा 13(1) डी0 भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री परमेश्वर यादव पंचायत सेवक–सह– पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जोगियारा, प्रखंड जाले के द्वारा दण्डनीय अपराध किये जाने के स्पष्ट प्रमाण दिखने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा –19 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 976 जि0पं0 दिनांक 12.09.2013 के द्वारा आरोपी श्री परमेश्वर यादव के विरूद्व अभियोजन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर अपराध विविध वाद सं0 49801/13, परमेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.13 के आलोक में जमानत पर रिहा होने के उपरांत श्री यादव दिनांक 27.01.2014 के अपराहन में अपना योगदान प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले को समर्पित किया। इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के एवज में रिश्वत लेते श्री यादव, पंचायत सचिव रंगे हाथों पकड़े गये। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के विरूद्व एक गम्भीर मामला मानते हुए सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका –9 (3)(1) एवं (11) में निहित प्रावधाननुसार आदेश ज्ञापांक 189/जि0पं0 दिनांक 10.02.2014 द्वारा श्री परमेश्वर यादव, पं0 सचिव को लोकहित में योगदान की तिथि दिनांक 27.01.2014 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया।

उपरोक्त कृत्य के लिए श्री यादव के विरूद्व प्रपत्र "क" में आरोप गठित करते हुए आदेश ज्ञापांक 09(मु0)/जि0पं0 दिनांक 25.01.2014 के द्वारा श्री दिनेश कुमार अपर समाहर्त्ता, दरभंगा

संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले को उपस्थापन पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया । प्रपत्र "क" में गठित आरोप निम्नवत है:–

आरोपः– 1

श्री राम नरेश राम पे0 श्री फेकन राम, ग्राम +पो0– जोगियारा, प्रखंड जाले जिला– दरभंगा का नाम ग्राम पंचायत जोगियारा, के इंदिरा आवास हेतु अनुसूचित जातियों के बी0 पी0 एल0 की प्रतीक्षा सूची के कमांक – 87 पर अंक 09 रहने एवं इंदिरा आवास के अगस्त 2013 के शिविर हेतु आपके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले, को समर्पित लाभुकों की सूची में कमांक – 19 पर अंकित रहने अर्थात इंदिरा आवास के हकदार रहने के बावजूद उन्हें इंदिरा आवास का लाभ देने के एवज में आपने श्री राम नरेश राम से 10000.00 (दस हजार रूपये) रिश्वत की मॉग की जो नियम के विरूद्व है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के आलोक में सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल है।

आरोपः– 2

श्री राम नरेश राम पे0 श्री फेकन राम, ग्राम +पो0– जोगियारा, प्रखंड जाले जिला– दरभंगा को इंदिरा आवास का लाभ देने के एवज में आपने श्री राम नरेश राम से 10000.00 (दस हजार रूपये) रिश्वत लिया। रिश्वत लेते ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र द्वारा गठित धावादल ने आपको रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की राशि आपसे बरामद की गई तथा आपको जेल में भेज दिया गया एवं भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 की धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)डी0 के अधीन आपके विरूद्व प्राथमिकी संख्या 452013 दिनांक 26.07.13 दर्ज की गई। आपका यह कृत्य भी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के आलोक में सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

आरोप संख्या–03

इंदिरा आवास का लाभ देने हेतु रिश्वत की मॉग करना एवं रिश्वत लेना दोनों ही इंदिरा आवास हेतु निर्धारित नियम एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के आलोक में सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक 379/रा0 दिनांक 17.02.14 से प्राप्त विभागीय कार्यवाही अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन में आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण कंडिकावार निम्न प्रकार है–

आरोप संख्या–01

के संबंध में आरोपी का कहना है कि आरोप सरासर गलत है एवं उनके द्वारा कभी भी रिश्वत की मॉग नहीं की गई है। आरोप मनगढ़ंत व बिल्कुल ही फँसाने का द्योतक है। इन्दिरा आवास की रकम की मंजूरी उच्चाधिकारी द्वारा की जाती है और राशि का लेन–देन बैंक द्वारा होता है और इसके विपरीत श्री राम नरेश राम 10,000/–(दस हजार) रूपये व्यय नहीं कर

सकते है। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं सूची को देख कर संतुष्ट होते हैं और भुगतान की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

आरोप संख्या–02

के संबंध में आरोपी का कहना है कि वे किसी काम में व्यस्त थे और राम नरेश राम ने उनके जेब में कुछ रखा। जब तक मैं उसे देखता निगरानी विभाग के धावादल उनके हाथों को पकड़ कर ले गये। उन्हें यह जानकारी उनके द्वारा रूपया की निकासी के बाद काण्ड का पता चला। तब तक वे नर्भस हो गये थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया।

आरोप संख्या–03

के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास का नम्बर आने पर ही दिया जाता है। उन्होंने कुछ भी इस[illegible] का कार्य किया ही नहीं है। सभी बिल्कुल ही अस्वाभाविक है।

उपरो[illegible]न के साथ ही आरोपी द्वारा अपने पक्ष में कुछ गवाहों को भी प्रस्तुत किया[illegible]का बयान निम्नलिखित है–

1. श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट–योगियारा, थाना–जाले, जिला–दरभंगा दिनांक 26.07.13 को किराशन कूपन का पंचायत भवन योगियारा में वितरण हो रहा था। मैं अपना कूपन लाने गया था, भीड़ काफी थी। श्री नरेश राम पीछे से आया एवं श्री परमेश्वर यादव, पंचायत सेवक के कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया उनके साथ 3–4 आदमी अजनबी थे। जिसे पहचान नहीं पाये। पीछे से ऊपर वाले जेब में पंचायत सेवक के जेब में रूपया डाला। साथ वाले 3–4 आदमी बाँह पकड़ कर उठा लिए और गाड़ी के पास बाहर ले गए उसके बाद वहाँ भगदड़ हो गयी। चूँकि मेरा कूपन मिल गया था। इसलिए हम वापस घर आ गए।

2. श्री सुमन कुमार सुमन, ग्राम+पोस्ट–योगियारा, थाना–जाले, जिला–दरभंगा दिनांक 26.07.13 को हमलोग कूपन लाने गए थे। श्री परमेश्वर यादव पंचायत सेवक पंचायत भवन योगियारा में कूपन बाँट रहे थे। हमलोग अपने बारी का इन्तजार कर रहे थे। वार्ड मेम्बर श्रीमती श्यामा देवी के पति नरेश राम आया। टेबल लगा हुआ था, उनके द्वारा पंचायत सेवक के जेब में पैसा डाला, हमलोग नहीं समझ पाये। उनके साथ 3–4 आदमी आये,जिसे नहीं पहचान पाये। उनलोगों के द्वारा पंचायत सेवक को उठाये और पकड़कर बाहर ले गयें, गाड़ी पर बैठाकर ले गये।

3. श्री संजय कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट–योगियारा, थाना–जाले, जिला–दरभंगा –
दिनांक 26.07.13 को हम कूपन के लिए गए थे, पंचायत भवन योगियारा में कूपन बट रहा था। नरेश राम वहाँ आया, पीछे से पंचायत सेवक के जेब में पैसा डाल दिये। पीछे से चार आदमी था, उसे हम नहीं पहचानते थे, उनलोगों के द्वारा श्री परमेश्वर यादव को पकड़ कर ले गये उसके बाद हमलोग चले गये।

4. श्री मोती राउत, ग्राम+पोस्ट–योगियारा, थाना–जाले, जिला–दरभंगा –
दिनांक 26.07.13 को कूपन वितरण हो रहा था। अपना तेल का कुपन लाने गये थे वहाँ पर देखा कि भीड़ काफी थी। श्री नरेश राम पंचायत सेवक के जेब में पीछे से कुछ डाला । हमलोग

नहीं देखे कि क्या डाला ।उसके बाद लोग इधर– उधर भागने लगे श्री परमेश्वर यादव पंचायत सेवक को उठाकर ले गये। हमलोग वापस चले आये।

उपरोक्त के अलावा श्री यादव आरोपी पंचायत सचिव का लिखित अभिकथन है कि श्री राम नरेश राम योगियारा पंचायत के वार्ड न0 4 के महिला वार्ड मेम्बर के पति है। उनके वार्ड का कूपन वितरण हो जाने के बाद 25 कूपन का माँग किया गया। नहीं देने पर धमकी दिया कि तुमको कहीं फँसा देगें।

आरोपी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी के मन्तव्य के अनुसार एक ही कंडिका स्वीकारात्मक है कि इन्दिरा आवास का आवंटन प्रतिक्षासूची के अनुसार किया जाना है। शेष कंडिका पर उपस्थापन पदाधिकारी ने मंतव्य असंतोष जनक बताया है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के आलोक में आवश्यक कारवाई की अनुशंसा की गयी है। गवाहों के बयान एवं आरोपी के लिखित अभिकथन कें आलोक में संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि रिश्वत मिलने की जानकारी श्री परमेश्वर यादव को थी । यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके जेब में रिश्वत का रूपया रखा गया था। प्रपत्र "क" में गठित आरोप एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्य तथा आरोपी के स्पष्टीकरण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी , जाले सह उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री परमेश्वर यादव पंचायत सचिव के विरूद्व गठित सभी आरोप सही बताया गया है। उल्लेखित है कि आरोपी द्वारा अपने बयान में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा रिश्वत की माँग नहीं की गई है।

आरोपों के प्रमाणित पाये जाने तथा इस आधार पर वृहत दण्ड योग्य कदाचार को दृष्टिपथ रखते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 235 दिनांक 24.02.2014 के द्वारा दिनांक 13.03.2014 की तिथि निर्धारित करते हुए आरोपी को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने एवं उन्हें अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

श्री परमेश्वर यादव, आरोपित पंचायत सचिव द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा निम्नवत् है :–

1. कोई व्यक्ति जो इंदिरा आवास स्कीम में लाभान्वित होगा उसे सरकार की ओर से कितनी राशि देय होगा और दिया जा सकता है।

2. शिकायत आवेदन में कहीं भी अंकित नहीं है कि श्री राम नरेश राम , आवेदनकर्त्ता के कमांक से नीचे वाले का भुगतान किया जा रहा है और उनको भुगतान करने में बाधा पहुँचाया जा रहा था।

3. क्या पंचायत सचिव के उपर के अधिकारी को कभी भी किसी तरह की इस बात की शिकायत की थी?

आरोपी का उक्त तर्क साक्ष्य पर आधारित नहीं है। द्वितीय कारण पृच्छा में उनके द्वारा पुनः उन्हीं बातों को दुहराया गया है जो संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता के समक्ष

विभागीय कार्यवाही के अधीन समर्पित किया था। उनके द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई बात नहीं कही गई है जो विचारणीय हो। संचालन पदाधिकारी ने पहले ही समीक्षा कर अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री यादव को दोषी ठहराया है। पुलिस निरीक्षक–सह–अनुसंधानकर्त्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र के पत्र संख्या 904/13 दिनांक 14.08.13 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन साक्ष्य पर आधारित है जो आरोपी के ऊपर लगाये गये आरोप को पूर्ण रूप से सम्पुष्ट करता है तथा श्री राम नरेश राम, पिता श्री फेकन राम, ग्राम+पोस्ट–योगियारा, थाना–जाले, जिला–दरभंगा से इंदिरा आवास का लाभ देने के बदले में मो0 10,000/– रूपये रिश्वत लेने का आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है। श्री यादव, पंचायत सचिव का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 में निहित सरकारी सेवक के आचरण संबंधी प्रावधानों का गम्भीर उल्लंघन है तथा गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है जो आरोपी को अधिकतम दण्ड का भागी बनाता है। फलस्वरूप इनके विरूद्ध रिश्वत लेने के आरोप में इन्हें मात्र अधिकतम दण्ड ही दिया जा सकता है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा संशोधित–2007 के नियम–14 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित विभागीय कार्यवाही में अंकित आरोप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने संबंधी आरोप के प्रमाणित पाये जाने के कारण मैं कुमार रवि, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, दरभंगा श्री परमेश्वर यादव, निलम्बित पंचायत सेवक–सह–पंचायत सचिव, प्रखंड–जाले को वृहत दण्ड अधिरोपित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ। श्री यादव का विवरण निम्न प्रकार है–

1. नाम : परमेश्वर यादव
2. पिता का नाम : अमीरी यादव
3. पदनाम : पंचायत सेवक–सह–पंचायत सचिव
4. जन्म तिथि : 03.04.1961
5. नियुक्ति की तिथि : 09.05.1978
6. वेतनमान : 5200–20200
7. स्थायी पता : ग्राम+पोस्ट–बरूआरा, थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
जिलाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 342 /जि0पं0, लहेरियासराय, दिनांक 02 वीं मार्च, 2014।

प्रतिलिपि : श्री परमेश्वर यादव, पंचायत सेवक–सह–पंचायत सचिव, प्रखंड–जाले(निलम्बन अवधि में मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, सदर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, दरभंगा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला आई0टी0, मैनेजर को सूचनार्थ एवं जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3/4/14

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
जिलाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 342 /जि0पं0, लहेरियासराय, दिनांक 27 वीं फरवरी, 2014।

प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष, बिहार राज्य, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
जिलाधिकारी, दरभंगा।